

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228612

पटना, दिनांक 17-04-2015

गा.वि.-14(म0)न0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

श्री के0 एन0 मल्लिक, भा0प्र0से0,  
सम्प्रति सेवा निवृत्त।  
(तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नवादा)

**निबंधित**

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप उप विकास आयुक्त, नवादा के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके जिला को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके जिला से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-


खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
9460.78	₹ 12961271.60/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 9460.78 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-खाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि की वसूली की जाए।

**अनुलग्नक- यथोक्त।**

विश्वासभाजन,


  
(प्रदीप कुमार) 16/4/15  
सचिव

पत्रांक 228612

पटना, दिनांक 17-04-2015

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया पत्र का तामिला अनुलग्नक सहित श्री के0 एन0 मल्लिक, भा0प्र0से0, सम्प्रति सेवा निवृत्त। (तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नवादा) के स्थायी पते पर कराकर उन्हें ससमय इस विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश देने की कृपा करेंगे।

  
16/4/15  
सचिव

## जिला का नाम:- नवादा

जिला परिषद:- नवादा

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	के० एन० मल्लिक, शा०प्र०से०	26940.74	16633.43	10307.31	1159742.1	12961272.6
2	श्री मकेश कुमार सिंह, बि०प्र०से०					
3	श्री सिकन्दर शर्मा, बि०प्र०से०					

पंचायत समिति/ प्रखंड स्तर पर:-

क्रम सं०	प्रखंड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवादा सदर	कमलेश कुमार सिंह	9154.78	2644.59	6510.19	201000	8717960.3
2	सिरदल्ला	सत्येन्द्र कुमार मिश्र	7245.89	4760.15	2485.74	0	3405463.8
3	अकबरपुर	शिवेन्दु रंजन	2340.98	1622.47	718.51	207856.4	776502.3
4	नारदीवांज	अरविन्द कुमार झा	1599.65	1465.71	133.94	30016.7	153481.1
5	हिसुआ	शत्रुघन कामती	3084.18	2513.28	570.9	360764	421369
6	गोविन्दपुर	रमेश शर्मा	521.52	510.9	10.62		14549.4
7	भेसकाँर	अपूर्व कुमार मधुकर	579	122	457	0	626090
8	रजौली	विजय कुमार	5140.25	4028.08	1112.17	110500.1	1413172.8
9	वारिसलीवांज	अमरेंद्र कुमार सिन्हा	4829.35	2304.39	2524.96	847976	2611219.2
10	कौआकाल	अवधेश राम	4227.22	3330.95	896.27	2050	1225839.9
11	पकड़ी बरावां	रामाश्रय कुमार	1487.75	1275.97	211.78	57328	232810.6
12	रोह	रामगोपाल पाण्डेय	4240.18	1671.2	2568.98	464838.2	3054664.4

66

Dated 27 December 2005

The Secretary,  
Rural Development Department,  
Government of Bihar,  
Patna

**SUBJECT :** Transition From the SGRY and the NFFWP towards  
the implementation of NREGA in Districts identified.

30/12/05

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Gramin Kaaryojana (SGRY) will continue to be implemented in the identified Districts till the end of the year 2005. The Government of Bihar is committed to ensure that the transition from SGRY/NFFWP to NREGA is smooth and that the benefits of the NREGA are fully realized.

The NREGA is notified in the identified Districts in accordance of the provisions of the Act. The works under the NREGA will be opened on demand for employment. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. The work given to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given under NREGA. Section 3 of the Act provides that when the Government notifies its EGS, the Act or the SGRY/NFFWP or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purpose of the Act. For the NFFWP identified under NREGA, the works under NFFWP will be opened on demand for employment. For every identified 200 districts is being launch for printing of Job Cards and registers prescribed.

Handwritten signature and initials

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

58  
11/106

Contd...2/-

राज्य सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग  
द. व. सं. सं. सं.  
पटना

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, it is requested that you may allow 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY consists of 50% for Gram Panchayats. This is in consonance with the provision under the MGNREGS. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the Gram Panchayats and other Panchayat bodies. Since under SGRY, the utilization of 50% of works is required and 50% to Government Panchayats also within the scope of the Act is essential, priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation, 50% of works are to be executed by the Gram Panchayats and 50% by Government Panchayats. In the execution of 50% of works by Gram Panchayats, the Government may be requested that if any works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to direct the District and Sub-Divisional authorities to take all concerned including the Collectors and other implementing authorities to take prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

सिद्ध सरकार,  
ग्रामीण विकास विभाग

(Anita Sharma)  
Joint Secretary

दिनांक 25/05/06, माण्डवी, दिनांक- 05/वि/वि/06/06

31/1/06

प्रतिलिपि, नवी उप विकास आयुक्तों को अनुसूचित सहित  
सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार उप सचिव ।